रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 1972/आश्विन 7, 1894

No. 222] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 1972/ASVINA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 23 NOV 72 GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th September 1972

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year 1972-73 (Amendment No. 23).*

No. 142-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol. II) for the period April, 1972—March, 1973 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3rd April, 1972.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

S. No.	Page of the Book Vol. II	Reference	Amendment
1.	144	L. 2.1. L. 2.2. L. 2.4 Col. 4	(i) For entry (a), the following may be substituted:— (a) Raw wool/Wool tops/Waste wool/Shoddy wool. (b) Acrylic fibre/tow or dyed acrylic yarn of 7 to 48S (single or multiply) (8% to 20%). (ii) The existing entry '(b)' against L.2.1. may be renumbered as '(c)' (iii) The existing entries (b) & (c) against S. No. L. 2.2. & L. 2.4. may be renumbered as '(c)' & '(d)'.
2.	144	L. 2.3 Col. 4	(i) For entry (a), the following may be subsituted:— (a) Waste wool/Shoddy wool. (b) Acrylic fibre/tow or dyed acrylic yarn of 7 to 48S (single or multiply) (8% to 20%) (ii) The existing entry '(b)' may be renumbered as '(c)'.
3.	144	L.3.1 & 3.2 Col. 4	(i) For entry (a)' the following may be subtituted :— (a) Raw wool/Wool tops/Waste wool/Shoddy wool/Acrylic fibre/tow or dyed acrrlic yarn of 7 to 48S (single or multiply). (At least 8% of replenishment subject to a maximum of 20% of the entitlement must be utilized for acryic fibre/tow or dved yarn of 7 to 48S (single or multiply). (ii) After entry '(b)', against S. No. L. 3.1. the following may be inserted : "(c) Hosiery needles (1%). (iii) After entry (c) against S. No. I. 3.2. the following may be inserted :— "(d) Hosiery needles (1%)"
4.	145-146	L. 3.3	(i) For entry (a), the following may be substituted:— "(a) Waste wool/Acrylic fibre/tow or dyed acrylic yarn of 7 to 48S (single or multiply). At least 8 of replenishment subject to maximum of 20% of the entilement must be utilised for acrylic fibre/tow or yarn (single or multiply)/dyed acrylic yarn)". (ii) After entry (b) the following may be inserted: "(c) Hosiery needles (1%)".

NOTE.—The amendments referred to above will be applicable in respect of exports effected from 1st August, 1972. However in respect of hosiery needles the same will be allowed even against valid licences.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1972

विषय :—1972 — 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 23).

संख्या 142- आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.— विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 47-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 3—4—72 के अन्तर्गत अप्रैल 1972-मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2: निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

क्रम सं०	रैडबुक (वा० 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	144	एल, 2.1 एल 2.2 एल 2.4 कालम 4	(1) प्रविष्ट (ए) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए :— (ए) कच्चा ऊन/ऊन टाप्स/रद्दी ऊन/घटिया ऊन। (बी) एक्रिलिक रेशा/ सन-सूत या रंजित एक्रिलिक सूत, 7 से 48 एस तक का (इक-हरा या बहुस्तरीय) 8 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक । (2) एल 2.1 के सामने की वर्तमान प्रविष्ट (बी)को ("सी)" के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाए ।

1	2	3	4
			(3) क्रम सं० एल 2.2 और एल 2.4 के सामने की वर्तमान प्रविष्ट (बी) और (सी) को '(सी)' और '(डी)' के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए ।
		एल 2.3 ——— कालम 4	(1) प्रविष्ट (ए) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :— (ए) रद्दी ऊन घटिया ऊन । (बी) एक्रिलिक रेशा । सन सूत या रंजित एक्रिलिक सूत, 7 से 48 एस तक का (इकहरा या बहुस्तरीय) 8 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक ।
			(2) वर्तमान प्रविष्ट "(बी)" को "(सी)" के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए ।
	145	एस 3.1 तथा एल 3.2 ——— कालम 4	(1) प्रविष्ट (ए) के लिए निम्नलिखित प्रविष्ट प्रतिस्थापित की जाए :— (ए) कच्चा ऊना/ऊन टाप्स/रद्दी ऊन/ घटिया ऊन/एक्रिलिक रेशा/ सन्सूत- या रंजित एक्रिलिक सूत, 7 से 48 एस तक का (इकहरा या बहुस्तरीय) । (प्रतिपूर्ति का कम से कम 8 प्रतिशत, परन्तु इस शर्त के अधीन कि हकदारी का अधिक से अधिक 20 प्रतिशत एक्रिलिक रेशा/सन-सूत या 7 से 48 एसे तक विरंजित सूत (इहकहरे या बहु-स्तरीय) के लिए उपयोग होना चाहिए) । (2) क्रम सं० एल 3.1 के सामने '(बी)' प्रविष्ट के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट की जाए :— "(सी)" हौजरी--सूइयां (10 प्रतिशत)"

1	2	3	4
			(3) क्रम सं० एल 3.2 के सामने "(सी)" प्रविष्ट के बाद निम्नलिखित प्रविष्ट निविष्ट की जाए :— "(डी) होजरी—सूइयां (1 प्रतिशत)"
4	145· 146	एल 3.3	(1) प्रविष्टि (ए) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :— "(ए) रद्दी ऊन/एक्रिलिक रेशा / सन—सूत या 7 से 48 एस तक विरंजित एक्रिलिक सूत (इकहरा या बहुस्तरीय)। (प्रतिपूर्ति का कम से कम 8 प्रतिशत, परन्तु इस शर्त के के अधीन कि हकदारी का अधिक से अधिक 20 प्रतिशत एक्रिलिक रेशा / सन—सूत या सूत (एकहरा या बहु स्तरीय)/विरंजित एक्रिलिक सूत के लिए उपयोग होना चाहिए)।" (2) प्रविष्टि '(बी)' के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट की जाए :— "(सी)" होजरी—सूइयां (1 प्रतिशत)।"

टिप्पणी : उपर्युक्त संशोधन 1 अगस्त, 1972 से किए गए निर्यातों के लिए लागू होंगे।

एम०एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972